उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

सोमवार, 27 माघ, शक संवत् 1947

(16 फरवरी, 2026)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क' व 'ख')।

2-मुख्य मंत्री, भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-1/1225960-2026, दिनांक 04 फरवरी, 2026 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28 की उपधारा (3) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

3-ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री, ऊर्जा अनुभाग-1 के उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन 2024-2025 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) की उपधारा (बी) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

4-मुख्य मंत्री, जनपद-मैनपुरी में करहल-सिरसागंज मार्ग पर मेन रोड से अहमदपुर ग्राम तक मार्ग का मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव व श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

5-मुख्य मंत्री, जनपद मैनपुरी के ब्लाक-करहल में करहल, सिरसागंज मार्ग पर जलालपुर के पास तालाब से होकर न0 श्रीकृष्ण होते हुये कुरियन-सरसईमासुपुर न0 कुर्रियन तक सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव व श्री मोहम्मद जासमीर

अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

6-मुख्य मंत्री, जनपद अमेठी के अन्तर्गत विकास खण्ड-संग्रामपुर चन्द्रिकन कटरा से नयापुरवा होते हुये बेलखरी सम्पर्क मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द नारायण शुक्ल व श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

7-मुख्य मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-बेहजम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-पिपरीछीट के डिहुआ गांव पिपरीछीट नहर पुल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीकान्त महेश्वरी व श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

8-मुख्य मंत्री, जनपद मैनपुरी के ब्लाक-बरनहाल के इण्डियन गैस एजेन्सी से चंदापुरा मार्ग को जोड़ने वाले जर्जर मार्ग को पी0डब्लू0डी0 द्वारा डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव व श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

9-मुख्य मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के तहसील-गोला, विकास खण्ड-बाकेगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा-संसारपुर, पीलीभीत बस्ती मार्ग से ब्लाक केन्द्र बाकेगंज तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषिपाल सिंह व श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

10-मुख्य मंत्री, जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-मछरेहटा में ग्राम पंचायत-कोडरी के ग्राम-कौवाकोल में ग्राम-नईगढ़ी को जोड़ते हुये ग्राम पंचायत-कोडरी तक मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार सिंह व श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

11-मुख्य मंत्री, जनपद-सन्तकबीरनगर के ग्राम पंचायत-देवरी के उत्तर विकास खण्ड खलीलाबाद में कठिनइया नदी पर पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री सुभाष यदुवंश व

श्री रतन पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

12-मुख्य मंत्री, जनपद अमेठी के विकास खण्ड-अमेठी में ग्राम सभा-डेढपसार में पंवारे पिच रोड से जमालपट्टी सम्पर्क मार्ग तक के मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द नारायण शुक्ल व श्री मोहित बेनीवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

13-मुख्य मंत्री, जनपद सीतापुर, विकास खण्ड-लहरपुर खैराबाद सदर के विभिन्न मार्गों के नव निर्माण/सी0सी0 रोड आदि के कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव व श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

14-नगर विकास मंत्री, जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-सदर के सैयाबांध से बरसात के दिनों में पानी से जलमग्न होने वाले गांव बडानपुर, जोगापुर आदि में नाले का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री साकेत मिश्रा व इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

15-नगर विकास मंत्री, वाराणसी नगर निगम के अन्तर्गत वार्ड नम्बर-44, 52 व 20 में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा व श्री लाल बिहारी यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

16-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-सोनभद्र के रेनू सागर में संचालित ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड कनोडिया द्वारा रिहन्द डैम में जल प्रदूषण पर इण्डस्ट्रीज को संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में श्री लाल बिहारी यादव व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

17-नगर विकास मंत्री, जनपद-वाराणसी के नगर निगम द्वारा कर के नाम पर अवैध वसूली एवं भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में श्री किरण पाल कश्यप व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

18-मुख्य मंत्री, जनपद-प्रयागराज के विकास खण्ड-मऊआइमा में तीन बत्ती से कस्बा की सड़क चौड़ीकरण करते हुये रेलवे क्रासिंग होते हुये हाईवे में जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र चौधरी व श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

19-ऊर्जा मंत्री, जनपद-महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट तथा बांदा में विद्युत विभाग द्वारा रात्रि में की जा रही विद्युत कटौती के कारण सिंचाई में बाधा आने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर व श्री अविनाश सिंह चौहान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

20-नगर विकास मंत्री, राजधानी लखनऊ स्थित जलकल विभाग, नगर निगम द्वारा सेवाओं की नियुक्ति हेतु नलकूप संचालकों के निविदा के प्रकाशन में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नियमों का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में श्री शाहनवाज खान व डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

21-ऊर्जा मंत्री, लखनऊ मॉडल पब्लिक इण्टर कालेज, हरिहर नगर, सेक्टर-11, इन्दिरानगर के मेन गेट के सामने एच0टी0 लाइन को हटवाने/अण्डरग्राउण्ड कराये जाने के सम्बन्ध में इंजी0 अवनीश कुमार सिंह व श्री अंगद कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

22-ऊर्जा मंत्री, प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, वाराणसी के आदेश के बावजूद अधीक्षण अभियन्ता, सोनभद्र व अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड राबर्ट्सगंज द्वारा आदेशों की अवहेलना करने के सम्बन्ध में श्री शाह आलम व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

23-ऊर्जा मंत्री, प्रदेश में सड़कों के चौड़ीकरण कार्य स्वीकृत करते समय प्रथम चरण में पोल शिफ्टिंग का कार्य पहले कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाठक व श्री दिनेश कुमार गोयल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम 110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

24-नगर विकास मंत्री, प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को गृह कर एवं जल कर से शत-प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डा0 आकाश अग्रवाल व श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

25-ऊर्जा मंत्री, जनपद मैनपुरी के ब्लाक-वरनाहल के ग्राम-पैरारशाहपुर में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्युत व्यवस्था संचालित कराने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव व श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

26-मुख्य मंत्री, दिल्ली रोड मुरादाबाद से नया मुरादाबाद के बीच गोगन नदी पर नया पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

27-मुख्य मंत्री, जनपद-झांसी के अग्रसेन चौक से ओरछा मार्ग पर मध्य प्रदेश सीमा तक रोड का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम तीर्थ सिंघल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

28-मुख्य मंत्री, जनपद मऊ, विकास खण्ड-रतनपुरा, ग्राम पंचायत-ठैंचा तमसा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विच्छे लाल राम, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

29-मुख्य मंत्री, जनपद-सन्तकबीरनगर के कष्टहरनी नदी पर ग्राम पंचायत-देवरी के उत्तर में पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष यदुवंश, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

30-मुख्य मंत्री, जनपद मऊ के विकास खण्ड-रतनपुरा के ग्राम पंचायत-टैंचा (रेता) के सामने तमसा नदी पर सेतु (पुल) बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विच्छे लाल राम, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

31-नगर विकास मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत बहुउद्देशीय प्रेक्षागृह (ऑडिटोरियम) निर्माण कार्य के अवरोधों को समाप्त कर शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

32-नगर विकास मंत्री, जनपद-कानपुर में कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति/नियुक्ति एवं अन्य सेवा के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

33-ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग में निदेशकों के पद पर चयन शीघ्र कराये जाने एवं शीर्ष प्रबन्धन द्वारा निदेशकों के सेवानिवृत्ति के बाद किये जा रहे सेवा विस्तार को निरस्त कराकर उचित कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 सुधीर गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

34-मुख्य मंत्री, जनपद-हरदोई, ब्लाक व तहसील-शाहाबाद के टोडपुर-उमरौली मार्ग से ग्राम पंचायत-पन्चौरा बल्लियां के अन्तर्गत ग्राम-बरगदिया पुरवा की ओर जाने वाले मार्ग का नव-निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

35-नगर विकास मंत्री, जनपद-प्रयागराज के प्रयागराज प्राधिकरण क्षेत्र में जगराम चौराहे से महिला मनोरंजन क्लब होते हुये समया माई पार्क-कोऑपरेटिव बैंक तक सड़क चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

36-नगर विकास मंत्री, जनपद-लखनऊ स्थित कपीस विहार कालोनी, उत्तरधौना में लगभग 300 मीटर कच्चे मार्ग का इण्टरलॉकिंग कराने के सम्बन्ध में श्री शाहनवाज खान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

37-नगर विकास मंत्री, जनपद-कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र आर्य नगर के अन्तर्गत घण्टाघर चौराहे से लेकर सुतरखाना होते हुए लखनऊआ फाटक की ओर जाने वाली सीवर लाइन और वाटर लाइन का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सलिल विश्नोई, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

38-मुख्य मंत्री, जनपद-बांदा के बबेरू-तिन्दवारी सुमेरपुर राज्य मार्ग संख्या-134 के सिमौनी के टोबा कला के पास मटियारा नाले पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 बाबू लाल तिवारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

39-नगर विकास मंत्री, जनपद-गाजियाबाद शहर में स्थित पुरानी धरोहर दिल्ली गेट व डासना गेट का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार गोयल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

40-नगर विकास मंत्री, जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव, क्षेत्र पंचायत-सोरांव को नगर पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

41-वित्त मंत्री, रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स उत्तर प्रदेश में लगातार 06 वर्ष तक एक ही व्यक्ति की तैनाती के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

42-नगर विकास मंत्री, जनपद-लखनऊ में स्थित डिफेंस कालोनी में जलभराव की समस्या के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र प्रधान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

43-नगर विकास मंत्री, रिंग रोड कल्याणपुर स्थित आर0 के0 मोटर्स के बगल में एच0डी0एफ0सी0 बैंक के बगल से जा रही सड़क मार्ग पर अवरोध होने से हो रही समस्या के सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार सिंह 'प्रिन्सू', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

44-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-बोहदपुरा, विकास खण्ड-डकोर, जनपद-जालौन के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

45-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-शेखपुरागुढ़ा, विकास खण्ड-महेबा, जनपद-जालौन के निवासियों की ओर से शमशान घाट का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

46-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-पाडेंवारी, विकास खण्ड-पसगंवा,

जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

47-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत सरकपुर सरैया, वार्ड नम्बर-3, नगर पंचायत बक्शी का तालाब, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

48-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-करसड़ा (सगरा), पोस्ट-कछवां, जनपद-मिर्जापुर के निवासियों की ओर से सड़क व नाले का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

49-श्री सत्यपाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा प्रस्तुत तथा श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार एवं पारण (अन्तिम दिवस) :-

> ''यह सदन मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 09 फरवरी, 2026 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'ज')

50-वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

लखनऊ :
सोमवार, 27 माघ, शक संवत् 1947
(16 फरवरी, 2026)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
**1	6-2-2026

नत्थी 'क'

सोमवार, दिनांक 16 फरवरी, सन् 2026 ई0

अल्पसूचित प्रश्न

जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड-नवाबगंज में स्थित सेवा हास्पिटल गेट के सामने लगे विद्युत पोलों को हटाये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
1

ऊर्जा मंत्री

**1-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज में स्थित सेवा हास्पिटल के गेट के सामने लगे विद्युत पोलों के कारण वहाँ पर इलाज कराने हेतु आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ?

(ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त विद्युत पोलों को अन्यत्र स्थानान्तरित करा दिया जायेगा ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	29-1-2026
*2	29-1-2026
*3	29-1-2026
*4	29-1-2026
*5	30-1-2026
*6	31-1-2026
*7	31-1-2026
*8	31-1-2026
*9	31-1-2026
*10	31-1-2026
*11	31-1-2026
*12	31-1-2026
*13	31-1-2026
*14	31-1-2026
*15	31-1-2026
*16	5-2-2026
*17	8-2-2026
*18	8-2-2026
*19	8-2-2026

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	29-1-2026
2	29-1-2026
3	29-1-2026
4	29-1-2026
5	29-1-2026
6	29-1-2026
7	29-1-2026
8	29-1-2026
9	29-1-2026
10	29-1-2026
11	30-1-2026
12	30-1-2026
13	30-1-2026
14	30-1-2026
15	30-1-2026
16	31-1-2026

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की ति
17	31-1-2026
18	31-1-2026
19	31-1-2026
20	31-1-2026
21	31-1-2026
22	31-1-2026
23	31-1-2026
24	31-1-2026
25	31-1-2026
26	31-1-2026
27	31-1-2026
28	31-1-2026
29	31-1-2026
30	5-2-2026
31	5-2-2026
32	5-2-2026
33	5-2-2026
34	5-2-2026
35	5-2-2026
36	8-2-2026
37	8-2-2026
38	8-2-2026

नत्थी 'ख'

सोमवार, दिनांक 16 फरवरी, सन् 2026 ई0

तारांकित प्रश्न

वर्ष 2005 में जिनकी नियुक्ति हेतु चयन हो गया था, किन्तु उनको कार्यभार ग्रहण बाद में कराया गया है, उनको पुरानी पेंशन दिलाये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 1 — वित्त मंत्री

*1-(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 2005 में जिनकी नियुक्ति हेतु चयन हो गया था, किन्तु उनको कार्य-भार ग्रहण बाद में कराया गया है, उनको सरकार ने पुरानी पेंशन दिये जाने हेतु शासनादेश जारी किया है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनकी एन0पी0एस0 में जमा धनराशि को जी0पी0एफ0 खाते में जमा करा दिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उनकी एन0पी0एस0 की जमा धनराशि को जी0पी0एफ0 खाते में जमा करा दिया जायेगा ?

(घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

नोडल जनपद के सरकारी कार्यक्रमों, विज्ञापनों एवं शिलापट्टों पर विधान परिषद् सदस्यों का नाम अंकित करने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 2 — संसदीय कार्य मंत्री

*2-(क) क्या संसदीय कार्य मंत्री बताएंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-01/2024/25/90-सं0शि0 050का/2024-02(सं0शि0)/2015, दिनांक 05 जनवरी, 2024 के अनुलग्नक-01 में क्रमांक 25 पर प्रश्नकर्ता के सम्मुख नोडल जनपद के रूप में वाराणसी अंकित है तथा उक्त शासनादेश की धाराओं (1), (2), (5) एवं (6) में यह व्यवस्था की गयी है कि सम्बन्धित जनपद के विधान परिषद् सदस्यों का नाम उस जनपद के सरकारी कार्यक्रमों, विज्ञापनों एवं शिलापट्टों पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या वाराणसी नगर क्षेत्र एवं जनपद वाराणसी में वर्ष 2024 से अब तक विभिन्न विभागों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये गये विकास कार्यों के पाँच शिलापट्ट ऐसे हैं, जिन पर शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम अंकित किया गया है ?

(ग) क्या ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने वाले सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं अथवा विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है ?

(घ) यदि हाँ, तो क्या उसका विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद/विकास खण्ड-शामली के अन्तर्गत ग्राम-तलवा मजरा से करौदा हाथी तक के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

श्री किरण पाल कश्यप 3 — मुख्य मंत्री

*3-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद/विकास खण्ड शामली के अन्तर्गत ग्राम तलवा मजरा से करौदा हाथी मार्ग तक चौड़ाई 15 फुट लम्बाई लगभग 1200 मी0 प्यारे जी महाराज के घर तक तथा जयदेव प्रमुख के खेत से रिसाल की पुरानी ट्यूबवेल तक उपरोक्त लम्बाई/चौड़ाई की सड़क का नव निर्माण पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग से करायेंगे ?

(ख) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2023-24 में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत आवंटित रुपये से पूर्व हुये कार्यों के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 4 — ऊर्जा मंत्री

*4-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2023-24 में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत 250 करोड़ तथा अतिरिक्त बिजनेस प्लान के अन्तर्गत 339.5 करोड़ रुपया आवंटन किया गया था ?

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त निगम में कौन-कौन से आकांक्षी जनपद आते हैं तथा उसमें कौन-कौन से कार्य सुनिश्चित हुए थे और कार्य पूरा होने की क्या स्थिति है ?

(ग) क्या उक्त का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

सहारनपुर के ब्लॉक सम्भाल की शेख में आबादी के ऊपर से जा रही 11000 के बिजली की लाइन हटवाये जाने के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 5 — ऊर्जा मंत्री

*5-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि सहारनपुर के ब्लॉक सम्भाल की शेख में जुल्फकार के मकान से भूरे के मकान तक आबादी के ऊपर से जा रही 11000 के बिजली की लाइन को हटवाये जाने या उनकी जगह ए0बी0सी0 तार बदले जाने को लेकर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

(ख) यदि हाँ, तो कब तक लाइन आबादी के ऊपर से हट जायेगी या नंगे तारों कि जगह ए0बी0सी0 तार बदले जायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

आगरा नगर में स्मार्ट सिटी के द्वारा वाटर मीटरों को लगाये जाने के सम्बन्ध में

डा0 आकाश अग्रवाल 6 — नगर विकास मंत्री

*6-(क) क्या नगर विकास मंत्री बताएंगे कि आगरा नगर में स्मार्ट सिटी के द्वारा कितने वॉटर मीटरों को लगाया जाना प्रस्तावित था ?

(ख) कितने वॉटर मीटर खरीदे गए हैं उसमें से कितने वॉटर मीटर लगा दिए गये हैं और वर्तमान समय में कार्यरत वॉटर मीटरों की संख्या कितनी है ?

(ग) जो वॉटर मीटर कार्य नहीं कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है ?

(घ) उक्त सारे सिस्टमों को लगाने पर प्रति यूनिट क्या खर्च किया गया है ?

(ङ) उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

जनपद-लखनऊ में ग्राम-सलेमपुर पतौरा जनता विहार कालोनी में हरिशचन्द्र यादव के मार्केट के बगल वाली लगभग 100 मीटर सी0सी0/इण्टरलॉकिंग बनाये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 7	*7-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ में ग्राम सलेमपुर पतौरा जनता विहार कालोनी में हरिशचन्द्र यादव के मार्केट के बगल वाली गली में जाने वाला मार्ग कच्चा होने के कारण बरसात के समय स्कूली बच्चों व राहगीरों/कालोनीवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? (ख) क्या उक्त स्थान की रोड जो लगभग 100 मीटर है, वहाँ पर सी0सी0/इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
श्री आशुतोष सिन्हा 8	*8-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]	

जनपद-लखनऊ के तहसील सदर, थाना-दुबग्गा, ग्राम-हयातनगर में केतारी के मार्केट से विनोद यादव के घर तक मार्ग के सी0सी0/इण्टरलॉकिंग के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 9	*9-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-हयातनगर, थाना-दुबग्गा, तहसील सदर, जनपद-लखनऊ में केतारी के मार्केट से विनोद यादव के घर तक का मार्ग लगभग 100 मीटर है वहां पर सी0सी0/इण्टरलाकिंग रोड न होने के कारण राहगीरों व स्थानीय नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) क्या उक्त स्थान पर रोड बनाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2026 जोकि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, भी प्राप्त हुआ है ? (ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त रोड का निर्माण करायेंगे ? (घ) यदि हाँ, तो कब तक ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री

कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुये प्रदेश के सेवानिवृत्त सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को छोड़ करके काटे गये राहत भत्तों के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 10	*10-(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए प्रदेश के सेवानिवृत्त सहायता प्राप्त	वित्त मंत्री

माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को छोड़ करके काटे गये राहत भत्तों को राज्य कर्मचारियों के भाँति अभी तक प्रदान न किये जाने का औचित्य क्या है ?

(ख) क्या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारियों के साथ-साथ प्राथमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों के रोके गये राहत भत्तों के न प्राप्त कराने का विवरण सदन के मेज पर रखेंगे ?

जनपद-सहारनपुर में नगर पालिका द्वारा हुये GIS सर्वे को पुनः पारदर्शिता से कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान
11

नगर विकास मंत्री

*11-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि नगर पालिका सहारनपुर में हुये GIS द्वारा सर्वे जो पूरा अपारदर्शिता से हुआ है जिसमें आम नागरिकों को भी कॉमर्शियल साबित कर दिया गया है तथा कामर्शियल लेवल को अनियमित तरीके से नार्मल में किया गया है ?

(ख) वर्ष 2023 में जो 12.5% टैक्स नगर निगम क्षेत्र में लागू किया गया था अब GIS सर्वे कराकर टैक्स कई गुना बढ़ा दिया गया है ?

(ग) क्या GIS सर्वे को पुनः पारदर्शिता से करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

धान क्रय केन्द्र के निर्धारण हेतु शासन/सहकारिता विभाग द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
12

सहकारिता राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

*12-(क) क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि धान क्रय केन्द्र के निर्धारण हेतु शासन/सहकारिता विभाग द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या ?

(ग) क्या उक्त नीति का अनुपालन जनपद सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी/संयुक्त आयुक्त/संयुक्त निबन्धक सहकारिता बस्ती मण्डल, बस्ती द्वारा किया गया है ?

(घ) जनपद-सिद्धार्थनगर में धान क्रय केन्द्र हेतु सहकारिता विभाग ने किन-किन संस्थाओं को वरीयता क्रम में रखा गया है ?

(ङ) यदि हां, तो उसका अनुपालन वर्ष 2023-2024 एवं वर्ष 2024-2025 में धान क्रय में किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(च) केन्द्र प्रभारियों के निर्धारण हेतु अनुबन्ध का विज्ञापन किन-किन समाचार-पत्रों में निविदा आमंत्रित की गयी है तथा कुल कितने आवेदन प्राप्त हुये ?

(छ) क्या इसका विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

जनपद-सहारनपुर के टोडरपुर में स्थित शाकम्बरी शुगर एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड चीनी मिल पर क्षेत्र के किसानों के गन्ना भुगतान के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 13

*13-(क) क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बतायेंगे कि जनपद सहारनपुर के टोडरपुर में स्थित शाकम्बरी शुगर एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड चीनी मिल पर क्षेत्र के किसानों का विगत 19 जनवरी, 2025 से 03 मार्च, 2025 तक का करीब 30 करोड़ से अधिक का गन्ना भुगतान नहीं हुआ है, जिससे क्षेत्र के किसानों को अपनी अगली फसलों का पालन-पोषण करने में कठिनाई हो रही है ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री

(ख) क्या इस रुके हुये किसानों के गन्ना भुगतान को शीघ्र करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

आगरा जिले के ताजगंज क्षेत्र में स्कोडा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत जनता के पास कितना पानी पहुंचा एवं लाइन लीक में कितना पानी नष्ट होने के सम्बन्ध में

डा0 आकाश अग्रवाल 14

*14-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि आगरा जिले के ताजगंज क्षेत्र में स्कोडा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत कितने सिस्टम लगना प्रस्तावित थे जिसमें आधुनिक तकनीक के माध्यम से जनता के पास कितना पानी पहुंचा एवं लाइन लीक में कितना पानी नष्ट हो गया ?

नगर विकास मंत्री

(ख) क्या सभी रिकॉर्ड इसी सिस्टम के द्वारा रखा जाना था परन्तु वर्तमान में यह योजना अपनी उम्मीदों पर कहां तक खरी उतरी है ?

(ग) उक्त योजनाओं में कितने सिस्टम लगाए जाने थे एवं सिस्टम की लागत कितनी थी एवं कितने सिस्टम क्रियाशील हैं और कितने सिस्टम अक्रियाशील हैं ?

(घ) क्या उक्त का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

जनपद-बनारस में वित्तीय वर्ष 2024-25 से अब तक लोक निर्माण विभाग द्वारा एफ0डी0आर0 पद्धति से निर्मित सड़कों व नालों के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 15

*15-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-बनारस में वित्तीय वर्ष 2024-2025 से अब तक लोक निर्माण विभाग द्वारा एफ0डी0आर0 पद्धति से निर्मित कितनी सड़कों व नालों का स्थलीय निरीक्षण किया गया ?

मुख्य मंत्री

(ख) उक्त में कितनी अनियमितताओं का संज्ञान लिया गया है ?

(ग) उक्त अनियमितताओं की जांच में किसे उत्तरदायी माना गया है और क्या कार्यवाही की गयी है ?

(घ) क्या उक्त से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर पालिका परिषद्, उन्नाव के अन्तर्गत मोहल्ला-लोधनहार से नहर पुलिया से कुम्हार के घर के समीप कच्ची रोड पर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' 16 — नगर विकास मंत्री

*16-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद्, उन्नाव के अन्तर्गत मोहल्ला लोधनहार में नहर पुलिया से कुम्हार के घर के समीप से होते हुए काशीराम कालोनी की रोड को जोड़ने वाली रोड कच्ची है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त कच्ची रोड पर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

चाइनीज मांझे को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 17 — पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*17-(क) क्या पर्यावरण मंत्री बतायेंगे कि चाइनीज मांझे को प्रतिबन्धित करने का आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा कब दिया गया है ?

(ख) लखनऊ में उक्त मांझे से कितनी दुर्घटनायें विगत दो वर्षों में दिनांक 05 फरवरी, 2026 तक प्रकाश में आयी हैं ?

(ग) एन0जी0टी0 के आदेश एवं दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अवैध रूप से मांझे की बिक्री प्रतिबन्धित करने के कोई आदेश जारी किये गये हैं ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-उन्नाव के मोहल्ला-कल्याणी देवी में क्षतिग्रस्त मार्ग व नाली के निर्माण के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' 18 — नगर विकास मंत्री

*18-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव के मोहल्ला-कल्याणी देवी में पप्पू बाथम के घर से लोधनहार पुलिया तक रोड व नाली पूर्ण रूप से ध्वस्त है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग व नाली का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' 19

*19- [अन्तरित]

अतारांकित प्रश्न

श्री राम सूरत राजभर
1

1-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की रामनगर कॉलोनी, ऐशबाग योजना का 80 भू-खण्डों का ले-आउट दिनांक 27 जनवरी, 2006 को पत्र संख्या-404/सीटीपी/2006 के माध्यम से स्वीकृत हुआ था ?

मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त ले-आउट के अनुसार आवंटित भू-खण्डों पर किन परिस्थितियों में अवैध कब्जा बना हुआ है और इसके लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ?

(ग) उपरोक्त भू-खण्डों पर हुए अवैध कब्जों को कब तक हटाते हुए तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए भू-खण्ड स्वामियों को कब्जा दिलायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सूरत राजभर
2

2-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ जनपद में लखनऊ विकास प्राधिकरण की रामनगर कॉलोनी ऐशबाग योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में किन-किन लोगों को आवासीय भू-खण्डों का आवंटन किया गया था ?

मुख्य मंत्री

(ख) उपरोक्त भू-खण्ड प्राप्त करने वाले आवंटियों में से किन-किन आवंटियों को आज तक उनके भू-खण्डों का कब्जा प्रदान किया जा चुका है ?

(ग) किन-किन आवंटियों को आज तक भू-खण्ड का कब्जा किन कारणों से नहीं दिया गया ?

(घ) उपरोक्त भू-खण्ड का कब्जा पिछले 22 वर्षों से प्राप्त न करने वाले आवंटियों के सम्बन्ध में किन-किन अधिकारियों का उत्तरदायित्व निहित है और इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कार्यवाही कराते हुए तथा अवशेष आवंटियों को भू-खण्डों का कब्जा दिलायेंगे ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रविशंकर सिंह
'पप्पू भैया'
3

3-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि बलिया जनपद के अन्तर्गत किडिहरापुर फतेहपुर मार्ग जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी के ग्राम इब्राहिम पट्टी से होकर जाता है, इस सड़क के दोनों तरफ पी0डब्ल्यू0डी0/सरकारी जमीन पर लोगों द्वारा पक्का निर्माण कार्य कर अवैध कब्जा कर लिया गया तथा बार-बार पी0डब्ल्यू0डी0/सक्षम अधिकारियों से कहने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है ?

मुख्य मंत्री

(ख) क्या सरकार उक्त भूमि से इन अवैध निर्माण को हटाकर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 4	4-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि ग्राम हयातनगर, थाना दुबग्गा, तहसील सदर, जनपद लखनऊ में केतारी के मार्केट से विनोद के0 यादव के घर तक जाने वाले विद्युत पोल जर्जर होने के कारण टूटकर लटक गये हैं और उसके आगे स्थापित विद्युत पोल का साइड में न होने के कारण कभी भी कोई अनहोनी घटना होने की आशंका बनी रहती है ? (ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त जर्जर विद्युत पोल के स्थान पर लोहे का पोल लगवाते हुए उसके आगे के विद्युत पोल को साइड में स्थानान्तरित करायेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	ऊर्जा मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 5	5-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ में कार्यरत कार्मिकों को अभी तक पाँचवें वेतन का ही लाभ दिया जा रहा है जिस कारण सम्बन्धित कार्मिकों में सरकार व शासन-प्रशासन के प्रति भारी रोष व्याप्त है ? (ख) यदि हाँ, तो कब तक उनको छठवें व सातवें वेतन का लाभ प्रदान करायेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 6	6-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ में कार्यरत कार्मिकों का समय से वेतन न मिल पाने के कारण उनको विकराल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? (ख) यदि हाँ, तो कब तक ऐसी व्यवस्था करायेंगे कि उनको समय से 01 से 05 तारीख के बीच में वेतन प्राप्त हो जाये ? (ग) सम्बन्धित कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2025 से 15 जनवरी, 2026 तक कब-कब वेतन का भुगतान उनके खाते में किया गया है ? (घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 7	7-[अन्तरित]	
डा0 मान सिंह यादव 8	8-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि नगर निगम अयोध्या के वार्ड नम्बर-4 दर्शन नगर में पंजाब नेशनल बैंक के सामने से कालेराम सिंह व अन्य के मकानों तक लगाये जा रहे बिजली के ट्रांसफार्मर अत्यधिक दूरी पर होने के कारण उक्त	ऊर्जा मंत्री

निवासियों को पेड़ों के सहारे तार खींचकर विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों को खतरे की समस्या बनी रहती है और भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या स्थानीय लोगों को हो रही असुविधा के दृष्टिगत विद्युत पोल व नया ट्रांसफार्मर स्थापित करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 9	9-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-मिश्रिख में सीतापुर रोड के किनारों पर जलभराव होने से लोगों को अत्यधिक कठिनाई होती है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु नाले का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
श्री आशुतोष सिन्हा 10	10-(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट-1860 के अन्तर्गत जनपद गौतमबुद्धनगर में वर्ष 2024-25 में कुल कितनी सोसाइटियों के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र जारी हुआ ? (ख) उक्तानुसार नवीनीकरण के समय कितनी सोसाइटियों की साधारण सभा की सूची प्राप्त की गई ? (ग) क्या उन सोसाइटियों की सूची प्रस्तुत करेंगे, जिनकी साधारण सभा की सूची, सोसायटीज रजिस्ट्रेशन नियमावली के नियम-17 के अन्तर्गत नवीनीकरण के समय पंजीकृत की गई हैं ? (घ) उक्तानुसार नियम-17 के अन्तर्गत सोसाइटियों की साधारण सभा की सूची पंजीकृत न करने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ? (ङ) क्या सोसाइटियों की साधारण सभा की सूचियां पंजीकृत करने के लिए आदेश जारी किये जायेंगे ? (च) यदि हाँ, तो कब तक ? (छ) यदि नहीं, तो क्यों ?	वित्त मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 11	11-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में नगर पालिका परिषद्, महमूदाबाद में पैंतेपुर रोड से सुंदौली तक की दूरी जो लगभग 300 मी0 है, का मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिससे स्थानीय	नगर विकास मंत्री

नागरिकों एवं स्कूली बच्चों तथा आम-जनमानस को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 12 — 12-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-कसमण्डा के अन्तर्गत नयागांव के मजरे कंचनपुर से नयागांव-कमलापुर सम्पर्क मार्ग तक की दूरी जो लगभग 1400 मीटर है, का सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है, जिससे ग्रामीणों, किसानों तथा विद्यार्थियों के आवागमन में भारी कठिनाई उत्पन्न हो रही है ? — मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष सिन्हा 13 — 13-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि परिषद् की दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 की बैठक में डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-14 के उत्तर के क्रम में बतायेंगे कि खण्ड 'क' के उत्तर में कहा गया है कि वर्तमान में दो चैम्बर क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं, जिनकी मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया ? — नगर विकास मंत्री

(ख) क्या उक्त चैम्बरों का कार्य पूर्ण करा दिया गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो किस दिनांक को पूर्ण करा दिया गया है ?

(घ) यदि नहीं, तो अभी तक कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ?

श्री आशुतोष सिन्हा 14 — 14-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ में जे0बी0 गार्डेन कालोनी पूर्वीदीन खेड़ा, पारा में सुशीला शुक्ला के मकान संख्या-545 के0ए0/पी0जी0के0एम0-1202 से राजेश कुमार गौतम के मकान तक माह अगस्त, 2025 में इण्टरलॉकिंग टाइल्स से निर्मित क्षतिग्रस्त 50 मीटर सड़क की मरम्मत/सुधार कार्य कराया गया था ? — नगर विकास मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त सड़क लगभग पाँच माह बाद ही जगह-जगह धँस गयी है, जिससे वहाँ के निवासियों को आने-जाने में असुविधा हो रही है ?

(ग) क्या उक्त कार्य में लापरवाही करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

(घ) क्या उक्त की जाँच कराकर सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष सिन्हा 15	15-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ में जे0बी0 गार्डेन कालोनी पूर्वीदीन खेड़ा, पारा में सुशीला शुक्ला के मकान संख्या-545 के0ए0/पी0जी0के0एम0-1202 के समीप शंकर जी के मंदिर के पास व रमेश चन्द्र बाजपेयी के मकान के पास चौराहे पर लगे बिजली के पोलों पर स्ट्रीट लाइट न होने से अँधेरा बना रहता है, जिससे मंदिर जाने वाले एवं वहाँ के निवासियों को आने-जाने में कठिनाइयां होती हैं ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निराकरण हेतु पोलों पर स्ट्रीट लाइटें लगवायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 16	16-(क) क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-कसमण्डा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-नयागांव में नयागांव सम्पर्क मार्ग से जल्लाबाद तक की दूरी जो लगभग 1250 मीटर है, का लम्बा मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है, जिससे ग्रामीणों, किसानों एवं स्कूली बच्चों के आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 17	17-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-कसमण्डा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-नयागांव में भौली से जल्लाबाद के मध्य लगभग 850 मी0 का मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है, जिससे ग्रामीणों, किसानों एवं स्कूली बच्चों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री

श्री पवन कुमार सिंह
18

18-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के नगर पालिका-बिसवां के मोहल्ला महराजगंज में मुन्ना सिंह के मकान से सीतापुर रोड तक की दूरी जो लगभग 250 मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिससे लोगों को आवागमन में समस्या बनी रहती है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु मार्ग का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री

डा0 मान सिंह यादव
19

19-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के टेढ़ी पुलिया कुर्सी रोड चौराहे पर कितने अवैध ई-रिक्शा एवं आटो स्टैण्ड संचालित हैं ?

(ख) क्या उक्त ई-रिक्शा एवं आटो के अवैध स्टैण्डों के संचालन से आम-जनता को दुर्घटनाओं एवं जाम की समस्या का प्रायः सामना करना पडता है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु कोई कार्य योजना बनवायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री

डा0 मान सिंह यादव
20

20-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि नगर निगम अयोध्या के वार्ड संख्या-4, दर्शन नगर के अन्तर्गत कुढ़ा केशवपुर उपरहार में स्थित चकमार्ग संख्या-582, जिसका उपयोग वहाँ की प्राचीन आबादी गाटा संख्या-632 के निवासियों द्वारा अपने खेत-खलिहानों तक जाने हेतु किया जाता रहा है ?

(ख) जो मार्ग गाटा संख्या-687 एवं 688 से होते हुए गाटा संख्या-733 तक जाता है, उस चकमार्ग पर कुछ स्थानों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त चकमार्गों को कब्जा मुक्त कराकर वहां सी0सी0 रोड का निर्माण करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री

श्री पवन कुमार सिंह
21

21-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि नगर पालिका-सीतापुर के अन्तर्गत भार्गव गेस्ट हाउस से पी0ए0सी0 द्वितीय बटालियन गेट के सी-ब्लॉक तक जाने वाला लगभग 260 मीटर लम्बा मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है, जिससे स्थानीय निवासियों, आगन्तुकों तथा वाहनों के आवागमन में भारी कठिनाई उत्पन्न हो रही है ?

नगर विकास मंत्री

	(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
डा0 मान सिंह यादव 22	22-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के वृन्दावन कालोनी सेक्टर-2सी के मकान नम्बर-2सी/25 से लेकर 2 सी/28 तक के सामने लगे खम्भों में एल0ई0डी0 लाइटें खराब हैं ? (ख) उक्त के कारण वह पूरा इलाका अँधेरे में डूबा रहता है ? (ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु खम्भों पर नई एल0ई0डी0 लाइटें लगवायेंगे ? (घ) यदि हाँ, तो कब तक ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 23	23- [विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]	
श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 24	24-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि विधान परिषद् के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-24 के उत्तर में जनपद देवरिया में मोहन सेतु का 3/2025 तक निर्माण पूर्ण कराने का उल्लेख मुख्य मंत्री द्वारा किया गया था ? (ख) उपरोक्त सेतु का निर्माण कार्य कितने प्रतिशत पूर्ण हो गया है तथा कितने प्रतिशत कार्य अवशेष रह गया है ? (ग) उक्त कार्य में विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है ? (घ) उक्त अधूरे पुल का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करायेंगे ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री अनूप कुमार गुप्ता 25	25-(क) क्या नगर विकास मंत्री बताएंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा आपको प्रेषित पत्र पत्रांक सं0-37/BJPUP/2026 दिनांक 29-01-2026 को जनपद लखनऊ के वृन्दावन कालोनी सं0-10सी में मकान संख्या-496 से मकान संख्या-510 के सामने पार्क का सौन्दर्यीकरण कराकर ओपेन जिम लगवाये जाने का आग्रह किया गया था ? (ख) उक्त के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी है ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ? (घ) क्या उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण कराकर ओपेन जिम लगवायेंगे ?	नगर विकास मंत्री

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता 26 — नगर विकास मंत्री

26-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित पत्र, पत्रांक सं0-72/BJPUP/2025, दिनांक 17-03-2025 जिसमें लखीमपुरी खीरी के नगर पंचायत ओयल ढखवा में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने का आग्रह किया गया था ?

(ख) क्या उक्त के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या उक्त नगर पंचायत ओयल ढखवा में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान करवायेंगे ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता 27 — नगर विकास मंत्री

27-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा आपको प्रेषित पत्र पत्रांक सं0-542/BJPUP/2025, दिनांक 23-12-2025 जिसमें लखीमपुर खीरी के नगर पंचायत ओयल ढखवा में नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना के अन्तर्गत तालाबों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने का आग्रह किया गया था ?

(ख) क्या उक्त के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या उक्त नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना के अन्तर्गत तालाबों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान करवायेंगे ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता 28 — नगर विकास मंत्री

28-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित पत्र पत्रांक सं0-361/BJPUP/2024, दिनांक 23-12-2024, सं0-534/BJPUP/2025, दिनांक 17-12-2025 तथा प्रतिलिपि निदेशक, सूडा, उ0प्र0 को प्रेषित पत्र पत्रांक सं0-534/BJPUP/2025, दिनांक 17-12-2025 जिसमें लखीमपुर खीरी के नगर पंचायत

निघासन (जोकि नव-निर्मित) में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत सड़क व नाली निर्माण को जनहित में कराये जाने हेतु आग्रह किया गया था ?

(ख) क्या उक्त के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या उक्त नगर पंचायत निघासन (जोकि नव-निर्मित) में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत सड़क व नाली का निर्माण करवायेंगे ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 29	29-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-बाँदा में खेल का मैदान राइफल क्लब गाटा संख्या-2086 लड़ाका पुरवा तहसील बाँदा की भूमि को विकास प्राधिकरण बाँदा द्वारा विक्रय किया जा रहा है ? (ख) यदि हाँ, तो क्यों ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री अनूप कुमार गुप्ता 30	30-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को प्रेषित पत्र, पत्रांक सं0-52/BJPUP/2025 दिनांक 22-02-2025 जिसमें जनपद-लखनऊ के नीलमथा रोड से अरुण कुमार सिंह के घर तक सड़क एवं नाली निर्माण किये जाने का आग्रह किया गया था ? (ख) क्या उक्त के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी है ? (ग) क्या उक्त नीलमथा रोड से अरुण कुमार सिंह के घर तक सड़क एवं नाली का निर्माण करवायेंगे ? (घ) यदि हाँ, तो कब तक (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
श्री अनूप कुमार गुप्ता 31	31-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा आपको प्रेषित पत्र पत्रांक सं0-177/BJPUP/2025 दिनांक 20-05-2025 जिसमें नगर निगम-झांसी के वार्ड 39 के बाहर दतिया गेट प्रथम में नाले की नाप करवाकर कब्जा मुक्त किये जाने का आग्रह किया गया था ? (ख) क्या उक्त के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी है ? (ग) क्या उक्त नाले की नाप करवाकर कब्जा मुक्त करवायेंगे ?	नगर विकास मंत्री

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता 32	32-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा आपको प्रेषित पत्र, पत्रांक सं0 543/BJPUP/2025 दिनांक 23-12-2025 जिसमें लखीमपुर खीरी के नगर पंचायत ओयल ढखवा में सीवरेज एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत नाला/नालियों का निर्माण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने का आग्रह किया गया था ? (ख) क्या उक्त के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी है ? (ग) क्या उक्त सीवरेज एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत नाला/नालियों का निर्माण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान करवायेंगे ? (घ) यदि हाँ, तो कब तक ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
श्री अनूप कुमार गुप्ता 33	33-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा आपको प्रेषित पत्र, पत्रांक सं0 536/BJPUP/2025 दिनांक 19-12-2025 जिसमें जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड-त्रिवेदीगंज के ग्राम पंचायत-भिलवल को नगर पंचायत बनाये जाने का आग्रह किया गया था ? (ख) क्या उक्त के सन्दर्भ में जिले द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही की गयी हैं ? (ग) क्या उक्त ग्राम पंचायत-भिलवल को नगर पंचायत बनवायेंगे ? (घ) यदि हाँ, तो कब तक ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
श्री अनूप कुमार गुप्ता 34	34-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के मोहल्ला गीतापल्ली में सतेन्द्र कुमार बाजपेई के मकान नं0 568ख/1318(523) के घर से प्रभाशंकर सिंह के मकान नं0 568ख/534 के घर तक कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर इण्टरलॉकिंग सड़क जो लगभग 100 मी0 है पर कब्जा कर लिया है जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? (ख) क्या उक्त के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी हैं ? (ग) क्या उक्त इण्टरलॉकिंग सड़क का अतिक्रमण हटवायेंगे ? (घ) यदि हाँ, तो कब तक ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री

श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' 35	35-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]	
श्री पवन कुमार सिंह 36	36-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-बिसवां में रेउसा रोड पर चौकटिया पुलिया से बरदही बाजार तक की दूरी जो लगभग 600 मी0 है, का मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों एवं आम जनमानस को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? (ख) यदि हां, तो उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु सड़क का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 37	37-[अन्तरित]	
डा0 मान सिंह यादव 38	38-(क) क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-जौनपुर में ग्राम-तिघरा (बहरीपुर) में जे प्लस डी ईंट उद्योग संचालित भट्ठा मानकों के अनुरूप है ? (ख) यदि हां, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-जालौन, विकास खण्ड डकोर के ग्राम पंचायत बोहदपुर मेन रोड के किनारे मिलन केन्द्र से चरन सिंह चौधरी के दरवाजे तक लगभग 300 मी0 रास्ते का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-जालौन, विकास खण्ड डकोर के ग्राम पंचायत बोहदपुर मेन रोड के किनारे मिलन केन्द्र से चरन सिंह चौधरी के दरवाजे तक लगभग 300 मी0 रास्ता खराब हो चुका है, सड़क निर्माण के लिये जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी, जबकि जिला स्तर पर धन उपलब्ध है।

अतः जनपद-जालौन, विकास खण्ड डकोर के ग्राम पंचायत बोहदपुर मेन रोड के किनारे मिलन केन्द्र से चरन सिंह चौधरी के दरवाजे तक लगभग 300 मी0 रास्ते का निर्माण करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय:-जनपद-जालौन, विकास खण्ड महेबा के ग्राम पंचायत शेखपुरागुढ़ में शमशान घाट निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-जालौन, विकास खण्ड महेबा के ग्राम पंचायत शेखपुरागुढ़ के निवासी हैं। ग्राम में शमशान घाट नहीं है, ग्रामीणों को बरसात के दिनों में काफी समस्या होती है, शमशान घाट निर्माण के लिये जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी, जबकि जिला स्तर पर धन उपलब्ध है।

अतः जनपद-जालौन, विकास खण्ड महेबा के ग्राम पंचायत शेखपुरागुढ़ में शमशान घाट का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखीमपुर के अन्तर्गत ग्राम पाडेंवारी, विकास खण्ड पसगंवा, जनपद-लखीमपुर खीरी में लल्ला के मकान से गांव के बाहर जाने के लिये रास्ते का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी जनपद-लखीमपुर, ग्राम पाडेंवारी, विकास खण्ड पसगंवा, जनपद-लखीमपुर खीरी में लल्ला के मकान से गांव के बाहर जाने के लिये रास्ता बहुत खराब है, गांव के लोगों

को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी, जबकि जिला स्तर पर धन उपलब्ध है।

अतः जनपद-लखीमपुर के अन्तर्गत ग्राम पाडेंवारी, विकास खण्ड पसगंवा, जनपद-लखीमपुर खीरी में लल्ला के मकान से गांव के बाहर जाने के लिये रास्ते का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखनऊ की नगर पंचायत बक्शी का तालाब, वार्ड नं0-03, सरकपुर सरैया के अन्तर्गत पूर्व सभासद संजय रावत के घर से लेकर रैथा रोड तक खड़न्जा, जो कि लगभग 01 किमी0 तक डामरीकरण रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि जनपद-लखनऊ की नगर पंचायत बक्शी का तालाब, वार्ड नं0-03, सरकपुर सरैया के अन्तर्गत पूर्व सभासद संजय रावत के घर से लेकर रैथा रोड तक खड़न्जा, जो कि लगभग 01 किमी0 तक रोड जर्जर अवस्था में है। जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी, जबकि जिला स्तर पर धन उपलब्ध है।

अतः जनपद की नगर पंचायत बक्शी का तालाब, वार्ड नं0-03, सरकपुर सरैया के अन्तर्गत पूर्व सभासद संजय रावत के घर से लेकर रैथा रोड तक खड़न्जा, जो कि लगभग 01 किमी0 तक डामरीकरण रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-मिर्जापुर के अन्तर्गत ग्राम-करसड़ा (सगरा), पोस्ट-कछवां में अजित कुमार पुत्र श्रीमती बसन्ती देवी के घर से लेकर बच्चा गोंड पुत्र स्व0 शुग्गन गोंड के घर तक लगभग 220 मी0 नाले सहित इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी ग्राम-करसड़ा (सगरा), पोस्ट व थाना-कछवां, जनपद-मिर्जापुर के निवासी हैं, ग्राम सभा में अजित कुमार पुत्र श्रीमती बसन्ती देवी के घर से लेकर बच्चा गोंड पुत्र स्व0 शुग्गन गोंड के घर तक लगभग 220 मी0 की खड़न्जा रोड कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है तथा नाली का निर्माण न होने के कारण वर्ष पर्यन्त जलभराव एवं कीचड़ की स्थिति बनी रहती है। इस मार्ग से निकलने वाले राहगीर, क्षेत्रीय निवासी एवं स्कूली बच्चे आये दिन चोटिल होते रहते हैं, कई बार क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी जिला स्तर पर अवगत कराये जाने के बावजूद कोई व्यवस्था नहीं की गयी है एवं दिन-प्रतिदिन सड़क की स्थिति बदतर होती जा रही है। जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी, जबकि जिला स्तर पर धन उपलब्ध है ।

अतः जनपद-मिर्जापुर के अन्तर्गत ग्राम-करसड़ा (सगरा), पोस्ट-कछवां में अजित कुमार पुत्र श्रीमती बसन्ती देवी के घर से लेकर बच्चा गोंड पुत्र स्व0 शुग्गन गोंड के घर तक लगभग 220 मी0 नाले सहित इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों की सूची

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
1	सर्वश्री लाल बिहारी यादव, राजेन्द्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा, किरण पाल कश्यप, (डॉ0) मान सिंह यादव, मो0 जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान, मुकुल यादव व श्री शाह आलम।	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-बिगड़ी कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किये जाने तथा प्रदेश में हो रही हत्या, अपहरण, साइबर क्राइम डकैती, लूट व बलात्कार में लगातार हो रही वृद्धि को रोके जाने के सम्बन्ध में, 2-शिक्षा के गिरते हुए स्तर सुधारने के सम्बन्ध में, 3-संविधान में नौकरियों में एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 को दिये गये आरक्षण का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में, 4-माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, 5-शिक्षण संस्थाओं पर बिजली की दर व्यवसायिक रेट से ज्यादा लगाये जाने के सम्बन्ध में, 6-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने के सम्बन्ध में, 7-प्रदेश में रुके विकास कार्य को प्रारम्भ करने के उपाय के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश की 17 जातियों को अनुसूचित जाति के अनुरूप सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में, 9-माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा नियमावली की समीक्षा किये जाने के सम्बन्ध में, 10-शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल किये जाने के सम्बन्ध में, 11-चयन बोर्ड आयोग की धारा 21, 18 व 12 को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

12-मदरसों में आधुनिक शिक्षकों का बकाया मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,

13-मदरसा विद्यालयों की जाँच विभिन्न विभागों से कराने के नाम पर विद्यालयों का उत्पीड़न बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,

14-आश्रम पद्धति विद्यालयों के संविदा शिक्षकों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

15-विषय विशेषज्ञों पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

16-राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ किये जाने के सम्बन्ध में,

17-प्रोन्नति वेतनमान व एरियर का भुगतान की पत्रावलियों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में,

18-शिक्षामित्रों का मानदेय महंगाई के अनुसार किये जाने के सम्बन्ध में,

19-बोर्ड परीक्षा केन्द्र की नीति में सभी बच्चियों को बाह्य केन्द्र की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

20-शीतकालीन अवकाश में ग्रीष्मकालीन विशेष अवकाश में बच्चों के साथ अध्यापकों को भी अवकाश दिये जाने के सम्बन्ध में,

21-शिक्षण सत्र पूर्व की भाँति जुलाई से जून की पुरानी व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

22-प्रधानाचार्यों की नियुक्तियाँ तथा उसमें आरक्षण की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

23-बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनाते समय संस्थाओं को एक समान अंक दिया जाय। राजकीय, एडेड, वित्त विहीन का भेदभाव समाप्त किया जाय, जैसे-राजकीय को 50 अंक, एडेड को 40 अंक और वित्त विहीन विद्यालय को 20 अंक निर्धारित हैं,

24-बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनाते समय विद्यालयों का संसाधन एवं मुख्य सड़कों को आधार बनाये जाने के सम्बन्ध में,

25-बोर्ड परीक्षा के संचालन के लिए केन्द्र व्यय दिये जाने के सम्बन्ध में,

26-माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में दिये गये प्राविधानों के मानक के अनुसार एडमीशन व क्लास परमीशन, अध्यापकों की उपलब्धता के अनुसार एडमीशन लिये जाने के सम्बन्ध में,

27-एडेड जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में,

28-प्राथमिक विद्यालयों में N.C.E.R.T. पुस्तकें लागू किये जाने तथा पुस्तकों की उपलब्धता के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		29-शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के शिक्षकों के सेवानिवृत्त की आयु 60 से 62 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में,
		30-बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12(ग) का अनुपालन प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		31-पूर्ववर्ती सरकार की भाँति जिनके पास रहने को मकान नहीं है उन्हें गरीब आवास योजना के तहत पक्के मकान (एक लाख बीस हजार से बढ़ाकर तीन लाख पचास हजार) मुफ्त में दिये जाने के सम्बन्ध में,
		32-सरकार द्वारा नये धान गेहूँ खरीद केन्द्र नहीं खोले जाने एवं खरीद केन्द्रों पर हो रही धांधली के सम्बन्ध में,
		33-पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गरीब का 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन पुनः दिये जाने के सम्बन्ध में,
		34-ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई हेतु 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,
		35-छात्र-छात्राओं को लैपटाप योजना को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,
		36-ओला वृष्टि व वर्फ बारी से नष्ट हुयी फसलों की क्षतिपूर्ति के बारे में,
		37-प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		38-प्रदेश के बुनकरों के पावरलूम उद्योग को सुधारने हेतु नियमित विद्युत आपूर्ति, और बुनकरों को किसानों की भाँति फ्लैट रेट पर विद्युत दिये जाने के सम्बन्ध में,
		39-प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को रोके जाने के सम्बन्ध में,
		40-प्रदेश की जर्जर सड़कों पर गढ्ढा मुक्ति के नाम पर सरकारी धन की लूट के सम्बन्ध में,
		41-प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये भुगतान के सम्बन्ध में,
		42-गन्ना किसानों का भुगतान न होने पर गन्ना किसानों द्वारा आत्महत्या रोके जाने के सम्बन्ध में,
		43-प्रदेश के बेरोजगार उर्दू मोअल्लिम डिग्री धारकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में,
		44-प्रदेश के अधिकारियों द्वारा सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में,
		45-पूरे प्रदेश में बिजली के बिलों में फर्जी बढ़ोत्तरी दिखाकर शोषण बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,
		46-ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में विधायकों की संस्तुति पर हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

47-सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को मुफ्त दवाइयां व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश के बाद भी मुफ्त दवाइयां व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराये जाने तथा नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में,

48-भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता फैलाने एवं धर्म के आधार पर आतंक का माहौल पैदा करने एवं धन की वसूली पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में,

49-प्रदेश के अधिवक्ताओं को भत्ता दिये जाने तथा अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बार कौंसिल उ0प्र0 को सरकार द्वारा बजट में कमी किये जाने के सम्बन्ध में,

50-पिछड़े वर्गों को संविधान प्रदत्त आरक्षण पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

51-अल्प संख्यक वर्ग व पिछड़े वर्ग के छात्रों की रुकी हुयी छात्रवृति को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

52-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किए जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

53-राज्य कर्मचारियों को कोविड-19 के कारण बन्द किये गये भत्ते आदि को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

54-समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर राजनैतिक द्वेष भावना से लगाये जा रहे फर्जी मुकदमे पर रोकथाम लगाये जाने के सम्बन्ध में,

55-प्रदेश के गरीब लड़कियों की शादी के अनुदान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है,

56-पिछड़े वर्ग हेतु क्रीमी लेयर की आय सीमा पिछली सरकार में किये गये दस लाख रुपये तक किये जाने के सम्बन्ध में,

57-एक हजार मदरसों एवं एक हजार संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में,

58-बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को आवश्यकतानुसार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

59-छात्र यूनियनों को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

60-प्रदेश सरकार की तुष्टिकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव के सम्बन्ध में,

61-किन्नर समाज कल्याण के बारे में,

62-बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

63-सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में।''

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
2	श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमावली में पूर्व की भाँति सेवा शर्तों में धारा-12, धारा-18, धारा-21 को प्रभावी किया जाना।

2-प्रदेश की स्व-पोषित (वित्तविहीन) शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में सेवा-शर्तों से आच्छादित किया जाना तथा प्रचलित पूर्ण वेतन का भुगतान जो समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त पर आधारित है।

3-विज्ञापन के आधार विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना।

4-अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों का कोरोना अवधि की रोकी गई महंगाई भत्ते की किस्तें तथा भत्तों को वापस अभी तक न दिया जाना।

5-वित्त विहीन विद्यालयों में अध्ययनरत् 06 वर्ष से 14 वर्ष तक छात्र- छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें प्रदान किया जाय।

6-व्यवसायिक शिक्षकों को विनियमित किया जाय।

7-माध्यमिक विद्यालयों मे एल0 टी0 ग्रेड के शिक्षकों को सहायक प्रवक्ता पद दिया जाय।

8-गुणवत्तापरक् शिक्षा प्रदान करने हेतु हाई स्कूल मे भी इण्टर कक्षाओं की तरह प्रयोगात्मक परीक्षा कराया जाय।

9-सभी स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों का अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाना।

10-विनियमितीकरण सम्बन्धी अधिनियम, 2016 की धारा-8 को विलुप्त किया जाय।

11-वर्ष 2000 के पूर्व शेष बचे तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करते हुये पेंशन की सुविधा अनुमन्य की जाये।

12-वर्ष 2000 से अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जाना।

13-प्रदेश के सहायता प्राप्त शिक्षक और कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मान्य करना।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

14-प्रदेश में शिक्षा विभाग के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरुद्ध उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेशव्यापी संघर्ष चल रहा है । शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की रेट लिस्ट जारी करके खुलासा किया गया है। इस प्रकार भ्रष्टाचार की अनदेखी किया जाना।

15-01 अप्रैल, 2005 के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ अनुमन्य किया जाना अर्थात् पुरानी पेंशन की बहाली।

16-गुणवत्तापरक् शिक्षा के हित में कम्प्यूटर शिक्षक तथा व्यावसायिक शिक्षकों के पद सृजित किया जाना तथा उन्हें पूर्णकालिक शिक्षक के समान कार्य के लिये समान वेतन अनुमन्य किया जाना, रूप में।

17-महिला विद्यालयों में प्रबन्धकों के अनुचित हस्तक्षेप को रोकने और विद्यालय समय में प्रबन्धक का प्रवेश और उनके निरीक्षण की रोक की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

18-छात्र-छात्राओं के लिये लैपटाप योजना को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में।

19-माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के सम्बन्ध में।

20-प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से चयन किये जाने वाली सड़कों में माननीय सदन के सभी सदस्यों का प्रस्ताव न लिये जाने के सम्बन्ध में।

21-अलीगढ़ मण्डल, चित्रकूट मण्डल, देवीपाटन मण्डल में संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा उप शिक्षा निदेशक के पद को सृजित किया जाना।

22-प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था, राजनैतिक प्रभावों के कारण महिलाओं के उत्पीड़न और जनसाधारण के प्रति अन्याय के प्रतिदिन होने वाले प्रकरणों की चर्चा।

23-प्रदेश के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को जनगणना, बी0एल0ओ0 और निर्वाचन कार्य में लगाने के परिणाम स्वरूप निर्धारित दिवसों अथवा निर्धारित घण्टे का अध्यापन कार्य पूर्ण होने के कारण छात्रों को अपूर्णनीय क्षति के कारण ऐसे कार्यों से मुक्त किया जाना।

24-राजकीय विद्यालयों में पदोन्नति का बाधित होना तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति।

25-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्थानान्तरण की विधिक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		26-एक हजार मदरसों एवं एक हजार संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में।
		27-राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में।
		28-चयन बोर्ड द्वारा चयनित शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने और वेतन पाने में भारी भ्रष्टाचार और घूस पर नियन्त्रण न होना।
		29-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का स्थानान्तरण नीति की सरल व्यवस्था प्रस्तावित किया जाना तथा महिला शिक्षकों को स्थानान्तरण में विशेष सुविधा प्रदान किया जाना।
		30-नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के खाते में पूरे सेवा-काल का राज्यांश जमा किया जाना।
		31-कोरोना अवधि में मृतक शिक्षकों के आश्रितों को उनकी योग्यता के आधार पर सेवायोजन किया जाय तथा ऐसे शिक्षक परिवारों को ग्रेच्युटी की सुविधा भी प्रदान किया जाना।
		32-सभी मान्यता प्राप्त माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 14 वर्ष तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य सुविधायें प्रदान किया जाना।
		33-माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।
		34-माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 में दिये गये प्राविधानों के मानक के अनुसार एडमिशन व क्लास परमीशन, अध्यापकों की उपलब्धता के अनुसार एडमिशन लिये जाने के सम्बन्ध में।
		35-बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-12 (ग) का अनुपालन प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।
		36-विषय विशेषज्ञों पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।
		37-मदरसों में आधुनिक शिक्षकों का बकाया मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में
		38-मदरसा विद्यालयों की जाँच विभिन्न विभागों से कराने के नाम पर विद्यालयों की उत्पीड़न बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		39–सहायता प्राप्त विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की स्थगित व्यवस्था को समाप्त कर नियुक्ति सुनिश्चित करना तथा शिक्षण संस्थाओं में आउटसोर्सिंग की दूषित प्रणाली समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।
		40–ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में विधायकों की संस्तुति पर हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में।
		41–प्रदेश में विद्युत आपूर्ति 24 घण्टे किये जाने के सम्बन्ध में।
		42–सभी प्रकार के विद्यालयों में निर्बल आय वर्ग के छात्रों को पुस्तकों आदि की व्यवस्था सुलभ करने हेतु अनुदान अथवा छात्रवृत्ति स्वीकार करने के सम्बन्ध में।
		43–बेरोजगार युवकों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में।
		44–सभी स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों का अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाना।
		45–राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किए जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित करने के सम्बन्ध में।
		46–चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं एवं दवाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में।
		47–किसानों को खाद बीज व पानी की उपलब्धता समयबद्ध सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध।"

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।